



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-135

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 271560 दिनांक 14/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vijay Pal Singh S/o Surendra Singh	जगदीश मीणा पुत्र गोदू मीणा	9/DI/121	1250.00 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block-D	Name Transfer	जविप्रा की योजना रिंग रोड के भूखण्ड संख्या 9/डीआई/121 क्षेत्रफल 1250.00 व.मी. की लीजडीड दिनांक 09.04.2012 को जगदीश मीणा पुत्र गोदू मीणा के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.08.2021 को जगदीश मीणा पुत्र गोदू मीणा द्वारा चन्द्रकांता पत्नी सुरेन्द्र सिंह एवं विजयपाल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का हिस्सा 1/2 की रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 22.06.2022 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

चन्द्रकांता पत्नी
सुरेन्द्र सिंह द्वारा
अपने पुत्र विजय
पाल सिंह पुत्र
सुरेन्द्र सिंह के
पक्ष में कर दिया
गया। तत्पश्चात्
दिनांक
06.09.2024 को
चन्द्रकांता का
निधन हो गया।
चन्द्रकांता के
निधन के पश्चात्
उनके वारिस
निम्नानुसार हैं:-
1. कविता सिंह
पत्नी विजय पाल
सिंह 2. अजय
पाल सिंह, पुत्र 3.
विजय पाल सिंह,
पुत्र 4. हर्षपाल
सिंह, पुत्र 5. मधु
सिंह, पुत्री हैं।
आवेदक श्री विजय
पाल सिंह द्वारा
नाम हस्तांतरण
हेतु आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Vijay Pal Singh S/o Surendra Singh को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004